Housing Schemes in Orissa

4834. Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the allotment made for different Housing chemes in Orissa during 1965-66; and

(b) the schemes so far executed?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) and (b). The required information is given in the statement below:

Name of Scheme.	Plan Funds	L.I.C. Funds
	(Rupees in lakhs)	
1. Subsidised Industrial Housing Scheme.	4.00	
2. Low Income Group Housing Scheme.	15.00	
3. Village Housing Projects Scheme.	7.60	
4. Slum Clearance Scheme.	3.75	
5. Middle Income Group Housing Scheme.		13.00
6. Land Acquisition and Development Scheme.		15.00
7. Rental Housing Scheme for State Government Employees.		93.00
Total :	30.35	121.00

Rural Electrification in Orissa

4835. Shri Ramachandra Ulaka:
Shri Dhuleshwar Meena:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the total expenditure incurred for the electrification of villages in Orissa during the Third Five Year Plan?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): An expenditure of Rs. 301.3 lakhs was incurred upto 1964-65 and the probable expenditure during the year 1965-66 is Rs. 63.67 lakhs. The figures of actual expenditure of 1965-66 would be available in about June 1966 when the accounts for the year are finalised.

राज्यों में भिक्षावृत्ति

4836. श्री राम सेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लखमू भवानी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) किन-किन राज्यों में ऐसा प्रतिबन्ध अभी तक नहीं लगाया गया है; और

(ग) शेष राज्यों द्वारा भिक्षावृत्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कब कानून बनाये जाने की सम्भावना है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग). भिक्षावृत्ति रोकने तथा उस पर नियंत्रण करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । भिक्षावृत्ति निरोधक विशिष्ट कानून बनाये गये हैं और एक सीमा तक आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, मद्रास, मैसूर और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू है । असम, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और नागालैंड राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश, मनिपुर, पांडिचेरी, त्रिपुरा, गोआ, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीव द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में कोई विस्तृत भिक्षावृत्ति निरोधक विधान नहीं है । इनमें से कुछ राज्य निकट भविष्य में आवश्यक विधान बनाने के बारे में विचार कर रहे है ।